न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 186/2007

वादीगण :-

1. राकेश पुत्र फुलचन्द
   जाति-सरगरा निवासी-बलून्दा
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बुद्धाराम पुत्र श्री घीसाराम
2. गीता पत्नि श्री बाबुलाल
3. ढगलाराम पुत्र श्री धन्नाराम
4. विरेश पुत्र श्री फुलचन्द
5. करण पुत्र श्री फुलचन्द
6. नरेश पुत्र श्री फुलचन्द
7. सीता बेवा फुलचन्द
   जरिये नाबालिग वलिया माता
   प्रतिवादीगण संख्या 7 समस्त
   जातियान-सरगरा,निवासीगण-बलून्दा
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
8. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.06.09.2007**

उपस्थितः- 1. श्री देवाराम गुर्जर अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री देवेन्द्रसिंह राठौड एवं श्री श्यामलाल तंवर अधिवक्तागण, प्रति0।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 12/06/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-बलून्दा, पटवार हल्का-बलून्दा में खसरा नम्बर-1260 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा किश्म बारानी अव्वल कृषि भूमि शामलाती की आई हुई है। जमाबन्दी नकल साथ पेश की है। उक्त खसरान् की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का 1/3 हिस्सा उक्त भूमि में आता था तथा उक्त भूमि पर वादी व उसके परिवारजन काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के नाम भी शामलाती खातेदारी हैं। इनका भी 1/3-1/3-1/3 हिस्सा आता था तथा कब्जा काश्त करते है। चूंकि प्रतिवादी सॅख्या 1 एक बुद्धाराम में तथा वादी के पिता जिनकी मानिसक स्थिति सही नही थी जिनको बहकावे में लाकर खसरा नम्बर 1302 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा किसी अन्य को बेचान करवा दी थी तथा वादी जब बडा हुआ तो अपनी जमीन की मांग की तो प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 ने दिनांक 09/05/2006 को समस्त समाज इकट्ठा कर एक फैसला किया गया। जिसमें वादी प्रतिवादीगण तथा अन्यसमाज के मौजिज व्यक्ति भी शामिल थे ने फैसला किया कि खसरा नम्बर-1260 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि में से 4-1/2 साढे चार बीघा जमीन वादी को दी जाती है। दिनांक 09/05/2006 को सभी प्रतिवादीगण वादीगण ने आपसी समझौता कर वादी को 4-1/2 साढे चार बीघा जमीन देकर उसी दिन प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 ने वादी को उक्त भूमि में 4-1/2 साढे चार बीघा जमीन में हल चलवा कर कब्जा सुपुर्द कर दिया उस दिन से लगातार आजदिन तक वादी 4-1/2 साडे चार बीघा जमीन में कब्जा काश्त करता आ रहा हैं। लिखत दिनांक 09/05/2006 की साथ पेश की है। उक्त जमीन में सहमति से वादी प्रतिवादीगण ने बंटवाडा किया था तथा वादी को 4-1/2 जमीन लिखत का कब्जा सुपुर्द किया था। लेकिन वादी व प्रतिवादी का दिनांक 23/08/2007 को आपसी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मुकदमें बाजी होने से नाराज होकर दिनांक 01/09/2007 को प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 आये तथा ऐलानियां धमकी दी कि रेकर्ड में मेरा नाम है, में इस जमीन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम बेचान कर दुंगा। जब मैने दिनांक 09/05/2006 की लिखत बताई, तो कहा कि मैं ऐसी लिखा पढी नही मानता हूँ। जबरदस्ती कब्जा हटाकर लाठियों के बल पर फसल नष्ट कर दुंगा। वादी सरकार कर्मचारी है, लाठियों केबल पर अपनी जमीन का बचाव नही कर सकता हैं। क्योकि वादी धनबल में कमजोर हैं। अन्य कोई विकल्प वादी के पास शेष नही रहने से श्रीमान के समक्ष दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं। यदि जबरन ताकत के बल पर प्रतिवादी वादी को बेदखल कर देते हैं, तो वादी को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर संभव नही होगी, दस्तावेज व कब्जे के आधार पर 4-1/2 साढे चार बीघा जमीन की वादी घोषणा कराने का अधिकार है। बिनायदावा दिनांक 01/09/2007 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा धमकियाँ देने व कब्जा खाली करने की धमकी देने पर मौजा-बलून्दा में उत्पन्न हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलून्दा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। शहादत पेश करने का समय चाहते हैं। शहादत पेश करने का समय दिये जाने के बावजूद भी शहादत पेश करने में विफल रहने से शहादत बन्द की जाती हैं। लोक अदालत की भावना से मजमा-ए-आम में पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 से 7 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की प्रार्थना की हैं। माफिक राजीनामा के वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 से 7 को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर-1260 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा किश्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 4, 5, 6, 7 का रहेगा। प्रतिवादी सं. 3 ढगलाराम का 1/2 बिस्वा रहेगा। वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-बलून्दा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :-

1. राकेश पुत्र फुलचन्द
   जाति-सरगरा निवासी-बलून्दा
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बुद्धाराम पुत्र श्री घीसाराम
2. गीता पत्नि श्री बाबुलाल
3. ढगलाराम पुत्र श्री धन्नाराम
4. विरेश पुत्र श्री फुलचन्द
5. करण पुत्र श्री फुलचन्द
6. नरेश पुत्र श्री फुलचन्द
7. सीता बेवा फुलचन्द
   जरिये नाबालिग वलिया माता
   प्रतिवादीगण संख्या 7 समस्त
   जातियान-सरगरा,निवासीगण-बलून्दा
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
8. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

मु0न0 :रा0वा0स0:186/2007

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री देवाराम गुर्जर अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री देवेन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर-1260 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा किश्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 4, 5, 6, 7 का रहेगा। प्रतिवादी सं. 3 ढगलाराम का 1/2 बिस्वा रहेगा। वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा	02	-00
स्टाम्प वकालतनामा	02.	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	11	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	04	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	19	-00	मिजानः-	02	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner